न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/210 **दायरा दिनांक : 28.11.2022**

उनवान

भंवर सिंह, उम्र 53 वर्ष आत्मज श्री मोती सिंह, जाति राजपूत, निवासी फतेहपुर, तहसील व जिला बारां (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

1– देवेन्द्र सिंह आयु 20 वर्ष आत्मज श्री रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी फतेहपुर, तहसील व जिला बारां (राजस्थान)
2– पवन सिंह आयु 25 वर्ष आत्मज श्री रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी फतेहपुर, तहसील व जिला बारां (राजस्थान)
3– भंवर बाई उर्फ पिंकी आयु 36 वर्ष पुत्री श्री रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी फतेहपुर, तहसील व जिला बारां (राजस्थान)
4– सुशीला बाई आयु 55 वर्ष विधवा श्री रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी फतेहपुर, तहसील व जिला बारां (राजस्थान)
5– नरेन्द्र सिंह मृतक कायम मुकाम –
5/1– सोनू धर्म पत्नि स्वर्गीय श्री नरेन्द्र सिंह
5/2– खुशी आयु 5 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत नाबालिग
5/3– कृष्णा आयु 3 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत नाबालिग
जरिये वली माता सोनू धर्म पत्नि स्वर्गीय श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत, निवासीगण–फतेहपुर, तहसील व जिला बारां (राजस्थान)
6– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बारां (राजस्थान)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 08.04.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 69/2022 निर्णय दिनांक 14.10.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीगण के दादा व अप्रार्थी कम 1 के पिता व अप्रार्थी कम 2 के दादा श्री मोतीसिंह के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी खसरा नम्बर 62 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा वाके माल फतेहपुर, तहसील बारां, जिला बारां में अवस्थित है, जो भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 123 रकबा 2.95 हेक्टर दर्ज किये हैं।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 14.10.2022 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर, तहसील बारां कि खसरा नम्बर 123 रकबा 0.78 हेक्टर में से 0.29 हेक्टर भूमि पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

8/4/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि तथा पत्रावली के सर्वथा विपरीत है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 के प्रावधानों पर बिना विचार किये तथा धारा 212 के सर्व मान्य सिद्धांतों के विपरीत निर्णय दिया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 4 के पिता श्री रघुवीर सिंह द्वारा अपना हिस्सा विक्रय कर देने से जमाबंदी से उसका नाम हटा दिया गया, भूमि जिसे विवादित बताया गया है, इस भूमि का एक मात्र खातेदार अपीलांट है जो राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज है अपीलांट के कथन व रिकार्ड पर बिना विचार किये तथा बिना प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार किये निर्णय दिया, जो शून्य है। विवादित भूमि के संबंध में रेस्पोडेंट का एक वाद पूर्व से ही जैरकार था उस वाद में पेश किया गया धारा 212 का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2022 को निरस्त करने पर भी नया वाद व प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन प्राप्त किया है, जो निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट ने अपने वाद व प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया कि 1/2 हिस्से में उसका कब्जा किस भूमि पर है, जिससे मौके की यथास्थिति का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रेस्पोडेंट ने मौके की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। विवादग्रस्त भूमि ग्राम फतेहपुर, तहसील बारां खसरा नम्बर 123 की 0.78 हैक्टर में से 0.29 हैक्टर है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम फतेहपुर, तहसील बारां की खसरा नम्बर 123 रकबा 0.78 में से 0.29 हेक्टर भूमि किस के हिस्से में दर्ज है, का भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अंकन अपने निर्णय में नहीं किया गया है। विवादित भूमि के संबंध में रेस्पोडेंट वादीगण द्वारा एक वाद पूर्व में धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 28.04.2022 को प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ विवादित भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसकी नकल अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है तथा उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय में भी पूर्व निर्णय का उल्लेख किया है। प्रथम बार धारा 212 प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया तथा पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ग्राम फतेहपुर, तहसील बारां की खसरा नम्बर 123 रकबा 0.78 में से 0.29 हेक्टर भूमि पर रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया। जब समान विवादित आराजी एवं समान धारा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एक बार निर्णय पारित कर दिया तो पुनः उसी धारा एवं विवादित आराजी से संबंधित प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उक्त धारा 212 का प्रार्थना पत्र रेसजूडीकेटा (पूर्व न्याय का सिद्धांत) से बाधित होना पाया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय दिनांक 14.10.2022 को खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2022 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/4/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा